

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 1968/चैत्र 16, 1890

No. 63]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 1968/CHAITRA 16, 1890

इ 1 भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April 1968

No. RS. 1/2/68-L.—The following order by the President, dated the 4th April, 1968, is published for general information:—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11-00 A.M. on Monday, the 29th April, 1968, at New Delhi.

NEW DELHI;

The 4th April, 1968

ZAKIR HUSAIN,

President.”

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1968

सं० आर० एस० 1/2/68-एन.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1968 आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा राज्य सभा को सोमवार 29 अप्रैल, 1968 को माध्यम पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

नई दिल्ली ;
4 अप्रैल, 1968।

आकिर हुसैन,
राष्ट्रपति।”

बी० एन० बनर्जी, सचिव।